

राष्ट्रदूत

बीकानेर Rashtradoot

डैमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव विशेषज्ञ अभी भी ढूँढ रहे हैं कमला हैरिस कैसे हारीं!

एक बड़ा कारण यह बताया जा रहा है, कि डैमोक्रेटिक पार्टी बड़े-बड़े मुद्दों पर ही (क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर, सामाजिक न्याय) बात करती रही

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 7 नवम्बर अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव हो चुका है, निर्णायक जनादेश के साथ चुनाव जीतकर ट्रम्प राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। डैमोक्रेटिक चुनाव नीतिकार हैरान और परेशान हैं क्योंकि उन्हें ऐसे व्यक्ति से मात मिली है जो नियमों को नहीं मानता और वर्ष 2020 में पद से हटने के बाद उस पर कई आरोप लगे हैं, उसके बाद भी वह बेपरवाह है। राजनैतिक पर्यवेक्षक और विश्लेषक अब यह जानने में लगे हैं कहाँ गलती हुई और आखिर वोटर्स को अपने पक्ष में करने में ट्रम्प को सफलता मिली कैसे।

एक समग्र धारणा यह है कि डैमोक्रेटिक पार्टी वर्किंग क्लास और ग्रामीण वर्ग से जुड़े आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से पूरी तरह बेखबर रही डैमोक्रेटिक पार्टी ने सारा फोकस प्रोग्रेसिव मसलों पर रखा जैसे जलवायु परिवर्तन, चिकित्सा सुधार और सामाजिक न्याय। ये मुद्दे वोटर्स से सीधे जुड़े हुए नहीं होते हैं जबकि वोटर्स की चिंता है रोजगार और बढ़ती महंगाई।

■ ऐसा लगा कि वोटर को रोजगार के इश्यू, जिनसे आम आदमी का सीधा ताल्लुक है, जैसे, रोजगार की सिक््युरिटी, बढ़ती महंगाई, के ऊपर डैमोक्रेटिक पार्टी का ज्यादा ध्यान नहीं था।

■ यह भी छवि बनी कि डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व संभ्रान्त व कुलीन लोगों के हाथ में है, जैसे मीडिया वाले, वी.वी.आई.पी., जिनसे आम आदमी जुड़ नहीं पाता है।

■ ट्रम्प के नारे, सीधे व स्पष्ट थे, जैसे "अमेरिका फर्स्ट", जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के नारे जटिल नीतिगत तर्क आधारित बहस पर आधारित और लम्बे होते थे।

■ इसी प्रकार ट्रम्प सीधी बात कहते थे, कि "अमेरिका में रोजगार" वापस लायेंगे, तथा टैक्स घटावेंगे। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी "इकोनॉमिक इक्वालिटी" लाने की बात करती थी, पर यह नहीं समझा पायी, सीधे साफ शब्दों में कि उनकी इकोनॉमिक नीतियां यह "इकोनॉमिक इक्वालिटी" कैसे लायेंगी।

■ इसी प्रकार "ट्रम्प" अपराध के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की बात करते थे (टफ ऑन क्राइम) पर डेमोक्रेटिक पार्टी क्राइम, सीमा सुरक्षा पर कन्फ्यूजन की स्थिति में थी।

एक बात यह भी कही जा रही है कि डैमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व अभिजात्य वर्ग के पास है, जिसमें टेक्नॉलजी और मीडिया से जुड़े लोग हैं, जिसकी वजह से कुछ वोटर्स का इस पार्टी से अलगाव हो गया। ट्रम्प ने इस क्षेत्र में बहुत असरदार तरीके से कदम जमाए उन्होंने खुद को इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा बाहरी व्यक्ति बताया। इस संदेश ने उन लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित किया जो राजनैतिक और सांस्कृतिक अभिजात्य वर्ग द्वारा उपेक्षित महसूस करते हैं।

इसके अलावा ट्रम्प का बोलने का तरीका बेहद सरल और आक्रामक है, वे वोटर्स से सीधे संवाद करते हैं। यह बात उन लोगों को काफी पसंद आयी जो राजनीति से निराश हो गए हैं। उन्होंने अपने भाषण में डैमोक्रेट्स को "एंटी अमेरिकन" परम्परावादी साबित करने का प्रयास किया, कुछ वोटर्स इससे भी प्रभावित हुए। उनके नारे "अमेरिका फर्स्ट" का असर डैमोक्रेट्स की जटिल नीतिगत चर्चा से ज्यादा देखा गया और ज्यादा दूर तक गया।

ट्रम्प का अप्रोच मुख्यधारा के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'फडनवीस को सोच समझ कर बोलना चाहिए'

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 नवम्बर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेन्द्र फडनवीस की खिल्ली झाई और कहा कि देवेन्द्र फडनवीस हताशा हो रहे हैं इसीलिए उन्होंने राहुल गाँधी पर आरोप लगाया है वे शहरी नक्सलियों का समर्थन पाने के लिए लाल किताब दिखा

■ जयराम रमेश ने, देवेन्द्र फडनवीस द्वारा राहुल के हाथ में मौजूद लाल किताब को "अरबन नक्सल" को रिसाने की कोशिश बताने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लाल किताब देश का संविधान है।

जयराम रमेश ने कहा कि फडनवीस जिस किताब पर आपत्ति जता रहे हैं वह भारत का संविधान है जिसके मुख्य शिल्पकार डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर थे। यह भारत का वहीं संविधान है जिसका 1949 में संघ ने यह कह कर विरोध किया था कि यह मनुस्मिती पर आधारित नहीं है। यह वहीं संविधान है जिसे नॉन बायोलोजिकल प्रधानमंत्री बदलने चाहते हैं। रमेश ने कहा जहाँ तक लाल किताब का सवाल है तो फडनवीस को पता होना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गाँधी के समारोह में खाली पन्नों वाली संविधान की प्रतियां बांटी गईं?

भाजपा ने आरोप लगाया कि ब्लैक पेजों वाला संविधान इस बात का सबूत है, कि कांग्रेस संविधान में विश्वास नहीं रखती

-श्री नन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 नवम्बर नागपुर में राहुल गाँधी के कार्यक्रम में संविधान की प्रतियाँ बांटी गईं, क्या उनमें कुछ पन्ने खाली थे? यह प्रश्न महाराष्ट्र में भारी वाद-विवाद का विषय बन गया है, जहाँ कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

महाराष्ट्र भाजपा ने एक्स प्लैफॉर्म पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें कुछ किताबें दिखाई दे रही हैं और जिनके मुखपृष्ठ पर "कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इण्डिया" लिखा हुआ है और किताब के अंदर संविधान की प्रस्तावना के अलावा सभी पन्ने खाली हैं। महाराष्ट्र भाजपा ने कहा, "कांग्रेस संविधान को मिटा देना चाहती है। वो डा. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए सभी कानून और धाराएं हटा देना चाहते हैं। इसीलिए राहुल गाँधी ने हाल ही में आरक्षण समाप्त करने की बात कही थी।"

भाजपा ने आगे कहा, "याद रखिये, संविधान और आदरणीय बाला साहेब

कांग्रेस ने जवाब में कहा, समारोह में पत्रकारों व वी.वी.आई.पी. दर्शकों में राइटिंग पैड बांटे गये थे, तथा भाजपा बिना कुछ सोचे समझे, बात का बतंगड़ बना रही है, क्योंकि राहुल गांधी का नागपुर में आर.एस.एस. के गढ़ में आयोजित समारोह बहुत सफल रहा था तथा भाजपा समारोह की सफलता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है।

अंबेडकर केवल चुनावी मुद्दे नहीं हैं ये भारत की तथा प्रत्येक भारतीय के जीवन की नींव है। इसलिए जनता संविधान को लेकर राहुल गांधी पर मैने जो आरोप लगाए थे वो सच साबित हुए हैं। उन्होंने लाल किताब दिखाई और शहरी नक्सलियों व अराजकतावादियों से राजनीतिक मदद लेने की कोशिश की। भाजपा पर पलटवार करते हुए, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज़ को बेचने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सन् 2019 से बंद पड़ी इस एयरलाइन्स को बेच देने में सभी का हित है

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 नवम्बर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज़ का स्वाामित्व यू.के. स्थित जालान कलरॉक कर्मोर्शियम को स्थानान्तरित करने के, नैशनल कम्पनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.ए.टी.) आदेश को रद्द करते हुए, मृतप्राय एयरलाइन, जेट एयरवेज़ को बेचने के आदेश किए। अदालत ने कहा कि ऐसा करना ऋणदाताओं और एयरलाइन कर्मियों के हित में है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एन.सी.एल.ए.टी. का आदेश, उच्चतम न्यायालय के जनवरी 2023 के आदेश का स्पष्ट अनादर है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एन.सी.एल.ए.टी. ने जेट एयरवेज़ की रेजॉल्यूशन आवेदक जालान कलरॉक कर्मोर्शियम से 350 करोड़ रुपए की इन्फ्यूजन रिकवैयरमेंट

■ सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल कम्पनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एयरलाइन को ब्रिटेन के जालान कलरॉक कर्मोर्शियम को दिए जाने का निर्देश दिया गया था।

■ ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ, जेट एयरवेज़ को ऋण देने वालों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ऋण दाताओं में सबसे प्रमुख हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।

■ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयरलाइन्स के मुकदमे से भारत के इन्सॉल्वेंसी और बैकरोसी कोड के सम्बंध में कई सबक निहित हैं तथा यह मुकदमा इसके लिए "आई ओपनर" की तरह है।

में 150 करोड़ रुपए की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पी.बी.जी.) को एडजस्ट करने की अनुमति देकर, उच्चतम न्यायालय के जनवरी 2023 के आदेश की अवहेलना की है। नरेरा गौयल की अध्यक्षता वाली

एयरलाइन, जो किसी समय भारत की प्रमुख एयरलाइन थी, सन् 2019 से बंद पड़ी है। बाद में एन.सी.एल.ए.टी. ने जेट एयरवेज़ के मालिकाना अधिकार यू.के. के कलरॉक कैपिटल तथा संयुक्त (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पहली अमृत भारत ट्रेन राजस्थान से

- जाल खंभाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 7 नवम्बर "वन्दे भारत" रेलगाड़ियों के बाद, रेलवे इस वर्ष के अंत तक "अमृत भारत ट्रेन" शुरू करने का रहा है। इनकी शुरुआत राजस्थान से होगी। ये ट्रेन पहले चरण में 26 रूटों पर चलेंगी।

■ रेलवे ने बताया कि अमृत भारत ट्रेन इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगी। पहली ट्रेन अजमेर से वाया जयपुर रांची जाएगी।

यह ट्रेन पूरी तरह से नॉन-एयरकन्डीशन्ड होगी। इसमें स्लीपर तथा सेकंड क्लास में बैठने की व्यवस्था होगी। इन रेलगाड़ियों का पहला सैट अजमेर से रांची, वाया जयपुर तथा जोधपुर से गोरखपुर के लिए शुरू होगा। आशा की जा रही है कि पहली अमृत भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सलमान रश्दी की किताब "सटैनिक वर्सेज़" के आयात पर लगा 36 साल पुराना प्रतिबंध हटा

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया, क्योंकि किताब को बैन करने वाली अधिसूचना गुम हो गई है

- जाल खंभाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 7 नवम्बर दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान रश्दी की किताब सैटनिक वर्सेज़ के आयात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है क्योंकि प्रतिबंध की अधिसूचना खो गई है। सन् 1988 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों की शिकायत पर किताब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुस्लिम समुदाय को शिकायत थी कि पुस्तक में ईश विन्दा की गई है। हाई कोर्ट ने प्रतिबंध तब हटाया जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायर्यूरेंट टैक्सेज ने कोर्ट से कहा किताब के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाली 1988 की अधिसूचना नहीं मिल रही है। चूंकि अधिकारी अधिसूचना पेश नहीं कर सके इसलिए जस्टिस रेखा पल्ली, और जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच ने 5 नवम्बर को प्रतिबंध की वैधता

कोर्ट ने यह आदेश संदीपन खान द्वारा 2019 में दायर याचिका पर दिया है। खान ने कोर्ट में कहा कि किताब पर बैन है इसलिए वो इसे मंगा नहीं सकता, पर बैन की अधिसूचना न तो अधिकारियों के पास है न ही सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

■ बताया जाता है कि जिस अधिकारी ने अधिसूचना बनाई थी उसने भी इसकी प्रति उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की।

■ ज्ञातव्य है कि, 1988 में राजीव गाँधी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों की शिकायत पर इस किताब के आयात पर रोक लगा दी थी।

हाई कोर्ट के निर्णय ने किताब पर प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। रोचक बात यह है कि जिस अधिकारी ने अधिसूचना तैयार की थी उसने भी इसकी प्रति प्रस्तुत करने में बेबसी जाहिर की। केन्द्र सरकार ने भी इस केस से कदम पीछे हटा लिए। गृह मंत्रालय ने अपनी जगह कस्टम विभाग को उतार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ही विभाग की वेबसाइट पर है। सूचना के अधिकार के अंतिमियम के तहत खान को भेजे गए जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा था कि किताब पर प्रतिबंध है। कोर्ट द्वारा नोटिफिकेशन को "अस्तित्व विहीन" करार देने पर खान को पुस्तक मंगाने की अनुमति दे दी गई है।

बेंच ने कहा, याचिकाकर्ता अब किताब मंगवा सकता है। क्योंकि अब कानून के तहत पुस्तक उपलब्ध है। हाई कोर्ट के निर्णय ने किताब के आयात पर लगा 36 साल पुराना प्रतिबंध खत्म कर दिया है। रोचक बात यह है कि जिस अधिकारी ने अधिसूचना तैयार की थी उसने भी इसकी प्रति प्रस्तुत करने में बेबसी जाहिर की। केन्द्र सरकार ने भी इस केस से कदम पीछे हटा लिए। गृह मंत्रालय ने अपनी जगह कस्टम विभाग को उतार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सी.एम. का स्थाई हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र खारिज

जयपुर, 7 नवंबर जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने गोपालगढ़ हिंसा प्रकरण की चल रही दायल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को स्थाई रूप से हाजिरी माफी देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही,

■ गोपालगढ़ हिंसा प्रकरण में न्यायालय ने कहा कि अनुपस्थिति की परिस्थिति में हाजिरी माफी पेश की जा सकती है।

अदालत ने इस संबंध में मुख्यमंत्री शर्मा की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

पीठासीन अधिकारी अनामिका सारण ने अपने आदेश में कहा कि अदालत ने भजनलाल शर्मा को अग्रिम जमानत देते समय यह शर्त लगाई थी कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मैं बिजनेस के नहीं बिजनेस पर मोनापली के खिलाफ हूँ'

राहुल गाँधी खुद पर लगा "एन्टी बिजनेस" तमगा हटाने के लिए सक्रिय हुए

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 नवम्बर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राहुल गाँधी ने पार्टी के अन्दर तथा बाहर उन पर बिजनेस विरोधी होने का लेबल लगाने वाले उनके आलोचकों के बारे में वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के विशिष्ट प्रयास के अन्तर्गत आज कहा कि वे बिजनेस विरोधी नहीं, बल्कि एकाधिकार-विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि वे व्यवसाय के कुछ ही हाथों में केन्द्रित होने के खिलाफ हैं।

राहुल गाँधी ने स्वयं की सोच एवं स्थिति को स्पष्ट करते हुये, स्वयं को "रोजगार-समर्थक, व्यवसाय-समर्थक, नवाचार-समर्थक (प्रो-इन्वेंशन) तथा प्रतिस्पर्धा-समर्थक" बताया। "एक्स" पर डाले गये एक वीडियो में, राहुल गाँधी ने जोर देते हुये

कहा कि भाजपा उन्हें एक बिजनेस-विरोधी नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वे "बिजनेस पर दो या पाँच लोगों के आधिपत्य के विरोधी" हैं। राहुल गाँधी ने कहा, "मैं एक चीज बिलकुल साफ कर देना चाहता हूँ, मुझे भाजपा के मेरे विरोधियों द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है। मैं बिजनेस-विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एकाधिकार-विरोधी हूँ, मैं बिजनेस-विरोधी हूँ, मैं केन्द्रित रहने की स्थिति पैदा किये जाने का विरोधी हूँ, मैं बिजनेस पर एक, दो या पाँच लोगों के दबदबे का विरोधी हूँ।"

राहुल गाँधी ने कहा कि उन्होंने अपना प्रोफेशनल कैरियर एक मैनेजमेंट कन्सल्टेंट के रूप में शुरू किया था तथा वे सफल व्यवसाय की जरूरतों को समझते हैं।

■ राहुल गाँधी द्वारा बार-बार अडानी व अन्य बड़े औद्योगिक घरानों का विरोध करने से उनकी छवि बिजनेस विरोधी की बन गई है जिससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है।

■ राहुल गाँधी ने कहा, बिजनेस पर दो-पांच लोगों का कब्जा नहीं होना चाहिए।

■ राहुल ने कहा, मैंने अपना करियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में शुरू किया और मैं बिजनेस की आवश्यकता समझता हूँ।

■ राहुल ने कहा जब सभी को बिजनेस में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा तब ही अर्थव्यवस्था फलेगी-फूलेगी।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "हमारी अर्थव्यवस्था तभी फलेगी-फूलेगी, जब सभी व्यवसायों के लिये स्वतंत्र तथा निष्पक्ष गुंजाइश हो।" राहुल गाँधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

तथा उनकी सरकार पर आरोप लगाते हुये कहते हैं कि वे किसानों के हितों पर कुछ उद्योगपतियों के एक चयनित ग्रुप को वरीयता देते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। वे प्रायः केन्द्र सरकार को बिजनेस

टाइकून गौतम अडानी से जोड़ते हैं। राहुल गाँधी की यह टिप्पणी उनके उस लेख के एक दिन बाद आई है, जो उन्होंने "द इंडियन एक्सप्रेस" में लिखा था। इस लेख में उन्होंने लिखा था कि मूल इस्ट इंडिया कम्पनी तो लगभग 150 साल पहले चली गई, लेकिन जो अनुचित एवं अन्यायपूर्ण डर उसने पैदा किया था, वह एकाधिकारवादियों की नई नस्ल के रूप में वापस आ गया है। उन्होंने कहा, "उसने हमारी बैंकिंग, आयरनशाही तथा सूचना-नैटवर्क पर नियंत्रण कर लिया था। हमारी स्वतंत्रता किसी अन्य राष्ट्र ने नहीं छीनी थी, हमारी स्वतंत्रता एक एकाधिकारवादी कॉर्पोरेशन ने छीनी थी, जो बलप्रयोग एवं जोर-जबरदस्ती के तंत्र का संचालन करता था।" राहुल गाँधी ने लिखा कि उसका (ईस्ट इंडिया कम्पनी) स्थान

एकाधिकारवादियों की एक नई नस्ल ने ले लिया है तथा इसने अपार धन इकट्ठा कर लिया है तथा भारत, इनके अलावा शेष सभी व्यक्तियों के लिये और ज्यादा गैरबराबरी वाला तथा पक्षपातपूर्ण देश बन गया है। राहुल गाँधी की यह प्रतिक्रिया उनके खिलाफ लगाये गये इन आरोपों और उन पर किये गये व्यंग्यों के बाद आई है कि राहुल व्यवसाय विरोधी हैं। राहुल के विरुद्ध ये आरोप और कटाक्ष, सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं तथा जन-मानस तथा धारणा को प्रभावित करने वाली हरितियों, मीडियाकर्मियों, भाजपा नेताओं के एक वर्ग के साथ ही, उनकी अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत का विषय बने रहते हैं जैसा कि काफी पहले, तब होता था, जब उन्हें "पप्पू" के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था।

राजस्थान की 23 हजार खानों पर सुनवाई आज

जयपुर, 7 नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 23 हजार खान लाइसेंसों के नियमित संचालन व इनमें काम करने वाले 15 लाख लोगों की नौकरियां बचाने वाली राज्य सरकार की सिविल अपील पर सुनवाई शुक्रवार को तय कर

■ सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के तत्कालिक सुनवाई के आग्रह को मान शुक्रवार 8 नवम्बर की तिथि तय की।

की है। मामले को तत्कालिक सुनवाई के लिए गुरुवार को ए.एस.जी. ऐश्वर्या भाटी व ए.ए.जी. शिवमंगल शर्मा ने सी.जे.आई. के समक्ष आग्रह किया था। जिस पर उन्होंने मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की। दरअसल, अपील में एन.जी.टी. के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)